प्रेस विज्ञप्ति

एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना में जिले के ओ0डी0ओ0पी0 चयनित उत्पाद लकड़ी के खिलौनें से जुडे विभिन्न अवयवों यथा कच्चा माल, डिजाइन, उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता सुधार आदि सभी सुविधा के विकास हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र जिले में स्थापित किया जाना है। जिले के हस्तशिल्पी/उद्यमी/व्यवसायी सामान्य सुविधा केन्द्र(सी0एफ0सी0) यथा टेस्टिंग लैब, डिजाइन डेबलपमेन्ट/ट्रेनिंग सेन्टर, तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र, रॉ–मैटेरियल बैंक, कामन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग/रिसोर्स/लाजिस्टिक्स सेन्टर, सूचना संग्रह/विश्लेशण एवं प्रसारण केन्द्र, पैकेजिंग, लेवलिंग सेन्टर इत्यादि स्थापित करने को इच्छुक हो तथा जो निम्नवत शर्ते को पूरा करते हो।

1–संस्था में न्यूनतम 20 सदस्य(प्रत्येक अलग–2 पंजीयन)।

2–संस्था सक्षम पंजीयन प्राधिकारी के यहाँ पंजीकृत हो।

3–संस्था के किसी भी सदस्य के पास कुल शेयरों मे से 10 प्रतिशत से अधिक शेयर नही होना चाहिये।

4–न्यूनतम 10 प्रतिशत परियोजना का एस0पी0वी0 को वहन करना होगा।

5–सामान्य सुविधा केन्द्र(सी0एफ0सी0) हेतु भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व एस0पी0वी0 के पास होगा।

इन शर्तो को पूर्ण करने वाली संस्था/उद्यमी/हस्तशिल्पी जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट में दिनांक 20.12.19 तक आवेदन पत्र मय प्रपत्रों के साथ जमा कर सकते है।

(एस0के0 केशरवानी)
उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट

कार्यालयः– उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, चित्रकूट

पत्रांक–929 /जि0उ0के0(चित्र0)/ओ0डी0ओ0पी0/सी0एफ0सी0/2019–20 दिनांकः– 13-12-19

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–जिलाधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2–मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चित्रकूट को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी(NIC),चित्रकूट को इस आशय से प्रेषित कि जिले की वेबसाइट पर सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

4–जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट को 08 प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रेस–विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कृपा करें।

5– कार्यालय नोटिस बोर्ड।

उपायुक्त उद्योग
चित्रकूट